बोली दस्तावेज
एकल चरण – दो लिफाफा बोली (खुली बोली पद्धति)

निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
दूरभाष : 91-145-2627620 **फैक्स** : 91-145-2427072, 2627001 **ई-मेल** : bor-rj@nic.in

बोली आमंत्रण की सूचना
(NOTICE INVITING BIDS)

Nib No. BOR/Vehicle Hire Contract/Rs.50.69 Lakh/Open BID/2022/01 **Dt. :14/02/2022**

विषय : राजस्व मण्डल कार्यालय में राजकीय उपयोग हेतु अनुबंध पर किराये के वाहन हेतु निविदा प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2022–2023

निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि	दिनांक : 14/02/2022	समय : 12.00 NOON
निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि	दिनांक : 24/02/2022	समय : 11.00 A.M.
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक : 24/02/2022	समय : 01:.00 P.M.
निविदा प्रपत्र की तकनीकी बोली खोलने की तिथि	दिनांक : 24/02/2022	समय : 03:00 P.M.
निविदा प्रपत्र की वित्तीय बोली खोलने की तिथि	तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को तदनुसार सूचित किया जायेगा	
स्थान	राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर	
बोली दस्तावेज शुल्क :	रूपये 200/–	
बोली सुरक्षा राशि :	राज्य सीमा में परिचालन हेतु वाहन के लिये	7320/– प्रति वाहन
	नगरीय सीमा में परिचालन हेतु वाहन के लिये	5760/–प्रति वाहन
कार्य संपादन प्रतिभूति राशि :	सफल आवेदक द्वारा प्रस्तुत बोली दस्तावेज में वर्णित राशि का 2.5 प्रतिशत (वार्षिक गणनानुसार)	

1. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये राजकीय उपयोग हेतु किराये पर वाहन (कार यथाः–डीजायर/सियाज/एक्सेंट/ईटियोज आदि अथवा इनके समान अन्य (SEDAN)कार) रखे जाने हेतु खुली प्रतियोगिता बोली आमंत्रित की जा रही है।
2. एक ही निविदा प्रपत्र के माध्यम से बोली एक अथवा एक से अधिक वाहनों के लिये प्रस्तुत की जा सकती है।
3. बोलीदाताओं द्वारा बोली जितने वाहनों के लिये प्रस्तुत की जायेगी उतने ही वाहनों की बिड सुरक्षा राशि तथा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. बोलीदाताओं द्वारा बोली सुरक्षा राशि के रूप में बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट निबंधक राजस्व मण्डल अजमेर के नाम प्रस्तुत करना होगा।
5. अनुबंध की शर्तें, मूल्यांकन एवं योग्यता मानदंड, बोली फॉर्म, आपूर्ति अनुसूचि, आदि सहित बोली दस्तावेज बोलियाँ खोली जाने की दिनांक से एक दिन पहले तक कार्य दिवसों के दौरान कार्य प्रसारित समय में उपापन संस्था के कार्यालय में देख सकते है तथा अप्रतिदेय राशि रू. 200/– नगद या बैंकर्स चैक या अधिसूचित बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करके प्राप्त कर सकते है। साथ ही बोली दस्तावेज उपापन संस्था की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in www.landrevenue.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं या प्राप्त कर सकते है एवं बोली दस्तावेज का मूल्य यूजर चार्जेज/प्रोसेसिंग शुल्क, यदि कोई हो, दस्तावेज जमा करने के साथ बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जायेगा।
6. निर्धारित तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त बोलियाँ स्वीकार नही की जायेगी एवं बिना खोले ही लौटा दी जायेगी।
7. बोलीयाँ, बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों, जो उपस्थित होना चाहते हैं के सम्मुख तकनीकी बोली दिनांक 24/02/2022 को समय 03:00 PM पर खोली जाएगी।
8. उपापन संस्था बिना कारण बताये किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार कर सकती है।
9. उक्त बोली आमंत्रण सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा हुए संशोधनों के अनुसार जारी की जा रही है तथा साथ ही उक्त उपापन प्रक्रिया इन अधिनियम एवं नियमों एवं

संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी। **बोली कार्यादेश दिनांक से 28/02/2023 तक के लिये आमंत्रित की जा रही है।**

10. विवाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्राधिकार अजमेर न्यायालय होगा।

11. तकनीकी एवं वित्तीय बोली दस्तावेज पृथक–पृथक सील बंद लिफाफें में प्रस्तुत करने होगें।

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

राजस्व मण्डल अजमेर में वाहन किराये हेतु निविदा 2022 – 23

1. व्यक्तिगत विवरण

संवेदक का नाम	
पता	
मोबाईल नम्बर	
ईमेल पता :	

2. तकनीकी आवश्यकता

क्र. सं.	पात्रता की आवश्यता	संलग्न	प्रस्तुत निविदा प्रपत्र के पृष्ठ पर अंकित
1	पेन कार्ड	हाँ / नही	
2	आधार कार्ड	हाँ / नही	
3	यदि संस्था हो तो संस्था को पंजीयन प्रमाण	हाँ / नही	
4	वाहन का मेक एवं रंग		
5	वाहन का मॉडल वर्ष		
6	वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र	हाँ / नही	
7	वाहन का बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र	हाँ / नही	
8	वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र	हाँ / नही	
9	वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर		
10	वाहन का प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र	हाँ / नही	
11	वाहन चालक का लाईसेंस, आधार कार्ड, मोबाईल नम्बर तथा वर्तमान निवास का पूर्ण पता	हाँ / नही	
11	हस्ताक्षरयुक्त बोली दस्तावेज (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर)	हाँ / नही	
12	बोली दस्तावेज शुल्क राशि रू0 200 / –	हाँ / नही	
13	बोली सुरक्षा राशि	हाँ / नही	

नोटः–एक से अधिक वाहनों को किराये पर रखे जाने हेतु आवेदन करने पर प्रत्येक वाहन का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में अंकित करावें।

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

शर्ते एवं प्रावधान

1. किराये पर वाहन वित्तीय वर्ष 2022–23 (कार्यादेश दिनांक से 28.02.2023 तक) हेतु लिये जाने है।
2. यह खुली बोली अधिकतम 16 (13+03) वाहन किराये पर रखे जाने हेतु आमंत्रित की जा रही है, किन्तु कार्यालय में एक मुश्त 16 वाहन किराये पर नही लिये जायेंगे। वाहनों की आवश्यकता/उपयोग के अनुसार ही वाहन स्वीकृत दर पर किराये पर रखे जायेंगे ।
3. इस खुली बोली के अन्तर्गत अनुमोदित संवेदकों को स्वीकृत दर पर कार्यादेश राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अध्यधीन जारी किया जावेगा, जो स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही जारी होगा। राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति एवं आमंत्रित बोली में वाहनों की संख्या कम अथवा अधिक हो सकती है।
4. किराये पर लिये जा रहें वाहन राज्य में मुख्यालय के बाहर किसी भी स्थान पर संचालित किये जा सकतें है।
5. **(अ) राज्य सीमा हेतु किराये पर लिये जाने वाले वाहनः–**

   किराये पर वाहन रखे जाने हेतु आमंत्रित इस खुली बोली में 13 किराये के वाहन 1500 कि0मी0 परिचालन या अधिकतम राशि रूपये 26400/–प्रतिमाह तक की अधिकतम सीमा (सम्पूर्ण राज्य सीमा) के अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार लिये जाने है। राज्य सीमा में 1500 कि0मी0 से अधिक चलने पर बोली में स्वीकृत प्रति कि0मी0 न्यूनतम की दर से अतिरिक्त भुगतान देय होगा। **(उपरोक्त राशियां अधिकतम अंकित की गई है यह केवल संवेदको के सहायतार्थ प्रस्तुत की गई है, न्यूनतम दरदाता की बोली नियमानुसार स्वीकृत की जायेगी)**

   (ब) नगरीय सीमा हेतु किराये पर लिये जाने वाले वाहनः–

   03 किराये के वाहन 1500 कि0मी0 परिचालन या अधिकतम राशि रूप्ये 26400/–प्रतिमाह तक की अधिकतम सीमा (नगरीय सीमा में) के अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार लिये जाने है । **(उपरोक्त राशियां अधिकतम अंकित की गई है यह केवल संवेदकों के सहायतार्थ प्रस्तुत की गई है, न्यूनतम दरदाता को नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा।)**
6. बिन्दु संख्या 5(अ) में वर्णित राज्य सीमा में संचालन हेतु किराये पर लिये जा रहें प्रत्येक वाहन का परिचालन प्रतिमाह 2500 कि0मी0 से अधिक नही होगा ।
7. बिन्दु संख्या 5(ब) में वर्णित नगरीय सीमा में संचालन हेतु किराये पर लिये जा रहें प्रत्येक वाहन का परिचालन प्रतिमाह 1500 कि0मी0 से अधिक नही होगा ।
8. बिन्दु संख्या 5(अ) में वर्णित राज्य सीमा में संचालन हेतु किराये पर लिये जा रहें वाहन का प्रत्येक माह में 1500 कि0मी0 से अधिक परिचालन होने पर निम्नानुसार किराये की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
   (1) प्रथम 1500 कि.मी मासिक परिचालन पर न्यूनतम किराया राशि–बोली में स्वीकृत न्यूनतम दर से
   (2) 1501 कि.मी से अधिक परिचालन– (अधिकतम 2500 कि.मी.तक)– बोली में स्वीकृत न्यूनतम दर प्रति कि.मी की दर से
9. मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर रात्रि विश्राम के मामले में वाहन चालक को प्रति रात्रि 300/–रूपये की दर से अतिरिक्त राशि का भुगतान देय होगा। रात्रि विश्राम भत्ते का भुगतान मण्डल द्वारा अग्रिम नही किया जायेगा और ना ही अनुबन्धकर्ता अथवा संबंधित वाहन चालक द्वारा इस बाबत पृथक से कोई बिल प्रस्तुत किया जायेगा। रात्रि विश्राम भत्ते का अंकन संबंधित माह के वाहन किराया बिल में किया जायेगा जिसका किराये राशि के साथ ही भुगतान किया जायेगा।
10. किराये के वाहन में यात्रा के दौरान देय टोल टैक्स का भुगतान मण्डल द्वारा किया जायेगा। टोल टेक्स का भुगतान अग्रिम नही किया जायेगा और ना ही अनुबन्धकर्ता अथवा संबंधित वाहन चालक द्वारा इस बाबत पृथक से कोई बिल प्रस्तुत किया जायेगा। टोल टेक्स का अंकन संबंधित माह के वाहन किराया बिल में किया जायेगा जिसका किराया राशि के साथ ही भुगतान किया जायेगा। अनुबंधकर्ता द्वारा टोल टेक्स की रसीद बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । रसीद के अभाव में भुगतान देय नही होगा।

11. अनुबंध अवधि के दौरान यदि डीजल/पैट्रोल/ऑयल की दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो स्वीकृत दर से अधिक/कम भुगतान देय नही होगा।
12. वाहन सेवाओं के लिये किसी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
13. अनुबन्धकर्ता को प्रति माह वाहन किराया राशि का भुगतान राजस्व मण्डल द्वारा निविदा के अधीन स्वीकृत किराया राशि/दर के अनुसार ही किया जायेगा। यदि निविदा अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा वाहन किराया/दरों में किसी प्रकार की कोई वृद्धि की जाती है तो अनुबन्धकर्ता बढे हुये किराया राशि/दरों की मांग नही करेगा ना ही मण्डल द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा। अतः स्वीकृत किराया राशि/दर के अनुसार ही नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
14. संवेदक/संवेदकों द्वारा बोली में आवेदित किये जाने वाले वाहन/वाहनों का टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है।
15. संवेदकों द्वारा किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाला वाहन का मॉडल वर्ष 2016 (मॉडल) से अधिक पुराना नही होगा। **नवीनतम मॉडल के वाहन को प्राथमिकता दी जा सकती हैं।**
16. अनुमोदित वाहन की सेवाऐं साधारणतः कार्य दिवस में प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक होगी।
17. राजकीय अवकाश में वाहन का संचालन नही किया जायेगा। यदि अवकाश दिवस अथवा निर्धारित समय के पूर्व/पश्चात् सक्षम अधिकारी/कार्यालय द्वारा राजकीय प्रयोजनार्थ वाहन को उपयोग मे लिया जाता हैं तो अनुबन्धकर्ता को वाहन उपलब्ध कराना होगा। जिसकी पूर्व सूचना संबधित द्वारा निबंधक महोदय/प्रभारी अधिकारी (पूल),राजस्व मण्डल अजमेर देनी होगी।
18. किराये पर उपलब्ध कराये जा रहे वाहन में ए. सी. सुचारू रूप से क्रियाशील अवस्था में होना अनिवार्य है ।
19. वाहन चालक स्वच्छ ड्रेस में आयेगा तथा वाहन को साफ–सुथरा रखना होगा।
20. अनुबन्धित वाहन पर रखा गया वाहन चालक बार–बार बदला नहीं जायेगा। चालक वैध लाईसेन्स धारक होना चाहिये तथा निर्धारित वर्दी पहन कर उपस्थित होगा।
21. अनुबंधकर्ता को वाहन पर "राजकीय सेवार्थ" की एक प्लेट लगानी होगी। प्लेट ऐसी होगी कि उसके फ्रेम से खींचकर हटाया जा सके अथवा कवर किया जा सके। वाहन राजकीय कर्तव्य से मुक्त होने पर यह प्लेट हटाना/कवर करना अनिवार्य होगा।
22. किराये हेतु अनुबन्धित किये गये वाहन पर होने वाले समस्त खर्चे अनुबंधकर्ता के होगें। वाहन में किसी भी प्रकार की कमी के लिये यदि कोई चालान या जुर्माना होता है तो उसकी जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी तथा किसी भी प्रकार की टूट–फूट, वाहन के दुर्घटना होने या चोरी होने पर विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
23. अनुबंधकर्ता किसी भी कारण से कार्यालय अथवा मांग अनुसार यथा दिवस–यथा समय वाहन उपलब्ध करानें में असमर्थ होगा तो शास्ति (Penalty) के रूप में 800/–रूपये प्रत्येक दिवस की दर से राशि की कटौति मासिक किराया भुगतान में से की जायेगी ।
24. अनुमोदित वाहन के अत्यधिक खराब/ दुर्घटनाग्रस्त/अन्य कारण हो जाने की स्थिति मे अनुबन्धकर्ता को दूसरा वाहन जो निविदा शर्तो को पूरा करता है, अविलम्ब उपलब्ध कराना होगा । अनुमोदित वाहन के ऐवज में उपलब्ध कराये गये वाहन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदा शर्तो के अन्तर्गत अनुबन्धकर्ता की होगी। वाहन उपलब्ध नही कराने पर निविदा शर्तो के तहत कार्यवाही/वसूली होगी।
25. निविदा के शर्तो के अनुरूप उपलब्ध कराये गये वाहन में किसी प्रकार की कोई कमी पायी गई अथवा अनुबंधकर्ता / वाहन चालक की सेवाऐं संतोषप्रद नही होने की स्थिति में अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय 7 दिवस में नोटेस दिये जाने के बाद जवाब संतोषप्रद नही होने पर वाहन का अनुबंध तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
26. सेवादाता की सेवायें असन्तोषप्रद पाये जाने अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लघंन करने पर विभाग द्वारा अनुबंध/सेवाऐं निरस्त की जा सकती है एवं प्राप्त प्रतिभूति राशि नियमानुसार जब्त कर ली जावेगी।
27. अनुबधित वाहन चालक लॉगबुक को निर्धारित प्रारूप में भरेगा। जिसमें प्रति दिवस की यात्रा का विवरण लॉगबुक में दर्ज करायेगा। प्रत्येक यात्रा का संक्षिप्त प्रयोजन सहित यात्रा करने वाले संबधित अधिकारी/कर्मचारी के नाम पद तथा हस्ताक्षर लॉग बुक में पूर्ति करानें की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन चालक की होगी। लॉग बुक का प्रत्येक कॉलम की पूर्ण पूर्ति होने पर ही मासिक किराये का भुगतान किया जायेगा।
28. अनुमोदित वाहन यथा सम्भव कार्यालय परिसर में पार्क किया जायेगा। लेकिन कार्यालय में वाहन को किसी भी प्रकार के नुकसान या चोरी का जोखिम अनुबंधकर्ता/चालक का होगा। जिसमें विभाग का कोई उत्तरदायित्व नही होगा और ना ही इससे संबंधित किसी भी विभागीय/कानूनी कार्यवाही के लिये विभाग जिम्मेदार होगा।

29. राजकीय प्रयोजनार्थ ड्यूटी के दौरान अनुमोदित वाहन का किसी अन्य निजी/गैर कानूनी कृत्यो में प्रयोग किया जाता है तो तत्काल वाहन की सेवाऐं समाप्त कर दी जायेगी तथा नियमानुसार सक्षम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता/चालक की होगी।
30. अनुबन्धकर्ता को वाहन किराये का बिल प्रत्येक माह पूल शाखा में तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा । निर्धारित लॉगबुक के प्रत्येक कॉलम की पूर्ण पूर्ति कर लॉगबुक एवं कार्यादेश की दो–दो प्रतियों बिल के साथ संलग्न प्रस्तुत करनी होगी। तदोपरांत ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
31. अनुबंधकर्ता को मासिक किराया बिल में इस आशय का प्रमाणिकरण करना अनिवार्य होगा कि "अनुबंधित वाहन पर कार्यरत चालक को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है"
32. नियमानुसार आयकर कटौति देय भुगतान राशि से आयकर नियमों के अर्न्तगत की जावेगी। स्त्रोत पर कटौति पर प्रमाण–पत्र अन्त में विभाग द्वारा दिया जावेगा। जी.एस.टी./सर्विस टेक्स/अन्य करों के भुगतान की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी।
33. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 के अध्याय–3 के अनुसार उक्त उपापन हेतु अपील प्राधिकारी है
    (1) प्रथम अपील प्राधिकारी–अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर
    (2) द्वितीय अपील प्राधिकारी–शासन सचिव राजस्व विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर
34. उपापन की समस्त कार्यवाही RTTP Act 2012 RTTP Rules 2013 एवं GF&AR के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के निर्देशो के तहत की जा रही है। कार्यवाही में यदि कोई संशय/भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसमे कार्यवाही अंकित नियमों के तहत की जायेगी।
35. संवेदक/सवंदकों को वाहन किराया अनुबंध स्वीकृत होने की दशा में अनुबंधकर्ता को स्वीकृत वार्षिक राशि का 2.5 प्रतिशत सुरक्षा राशि (कार्य संपादन प्रतिभूति राशि) के रूप में डिमाण्ड ड्राप्ट निबंधक राजस्व मण्डल अजमेर के नाम प्रस्तुत करना होगा ।
36. संवेदक/सवंदकों को वाहन किराया अनुबंध स्वीकृत होने के पश्चात् अनुबंधकर्ता को 500/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अपने स्वयं के खर्चे पर एक करार पत्र प्रस्तुत करना होगा। करार पत्र का प्रारूप पूल शाखा से प्राप्त किया जा सकेगा।
37. वाहन सेवा प्रदाता अपनी सेवाओं या उसके सारभूत किसी भाग को ना तो अन्य ऐजेन्सी को सौंप सकेगा या ना ही किसी को आगे बोली पर दे सकेगा।
38. आवेदक द्वारा बोली में किराये के वाहन हेतु उपरोक्त सभी शर्ते मेरे द्वारा भली–भांति पढ़ एवं समझ ली है तथा मुझे/हमें स्वीकार है।
39. उपरोक्त समस्त शर्तो में किसी प्रकार का संशय होने की दशा में, निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से एक दिवस पूर्व लिखित में मण्डल कार्यालय को अपनी वेदना/अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इसके उपरान्त अभ्यावेदन स्वीकार्य नही होगा। इस बाबत मण्डल कार्यालय का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

संवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....
पता.....
.....
.....
मोबाईल नम्बर.....

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

:: घोषणा–पत्र ::

मैं प्रमाणित करता हूँ कि बोली दस्तावेज में मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त समस्त वांछित जानकारियां/दस्तावेज पूर्णतः सत्य है।

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये राजकीय उपयोग हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध करानें हेतु आमंत्रित बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त नियमों एवं शर्तो को पढ़कर/पढाकर समझ लिया है तथा मुझे समस्त नियम एवं शर्ते मान्य है।

दिनांक

संवेदक के हस्ताक्षर

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

राजस्व मण्डल अजमेर में राजकीय उपयोग हेतु वाहन(कार) किराये पर लिये जाने हेतु ।

वित्तीय प्रपत्र

क्र. स.	वाहन का प्रकार (मेक अंकित करें)	मॉडल वर्ष	रजिस्ट्रेशन नम्बर	बीमा की वैधता	फिटनेस की वैधता	परमिट नम्बर	ए.सी. हैं या ही	वित्तीय राशि			
								में 1500 कि.मी.प्रतिमाह परिचालन के लिये किराये पर लिये जाने वाले वाहन की प्रस्तावित दर (अधिकतम अनुज्ञेय दर राशि 26400/–)		में 1500 कि.मी. से अधिक परिचालन पर प्रति कि.मी. दर (अधिकतम अनुज्ञेय दर राशि 10/–प्रति कि.मी.)	
								राशि अंको में	राशि शब्दों में	राशि अंको में	राशि शब्दों में

01– मैं/हम वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय कार्य हेतु वाहन किराये पर लेने संबंधी समस्त मापदण्डों को पूरा करता हूँ/है एवं जारी निर्धारित शर्तो, प्रावधानों एवं समयानुसार होने वाले संशोधनों को स्वीकार करता हूँ/है।

02– उक्त अंकित दरें सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष (2022–23) एवं विस्तारित अवधि के लिए है ।

03–यदि विभाग द्वारा मेरा/मेरे वाहन लगाये जाने की सहमति प्रदान की जाती है तो मैं नियमानुसार कार्य संपादन प्रतिभूति जमा कराते हुये करार करने के लिये सहमत हूँ।

04–सभी प्रकार के करों, परमिट, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण नियत्रंण प्रमाण पत्र, कानूनी दावा ,नियमों के उल्लघंन एवं चालक संबंधित समस्त प्रकार के कानूनी मामलों के संबंध में समस्त प्रकार के होने वाले चालान/दण्ड/आदि की देयता एवं कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायित्व मेरा/हमारा होगा।

05–रात्रि विश्राम भत्ता 300/– रूपये देय होगा।

नोटः–एक से अधिक वाहनों को किराये पर रखे जाने हेतु आवेदन करने पर प्रत्येक वाहन का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" में अंकित करावें।

(हस्ताक्षर संवेदक)

परिशिष्ट "अ"

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

राजस्व मण्डल अजमेर में वाहन किराये हेतु निविदा 2022 – 23

एक से अधिक वाहन किराये पर रखे जाने हेतु आवेदन करने पर तकनीकी प्रपत्र की आवश्यकता हेतु वाहनो का विवरण –

क्र सं.	वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन का मेक व रंग	वाहन का मॉडल वर्ष	वाहन की बीमा पॉलिसी	वाहन का फिटनेश प्रमाण पत्र	वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

(हस्ताक्षर संवेदक)

परिशिष्ट "ब"

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

राजस्व मण्डल अजमेर में वाहन किराये हेतु निविदा 2022 – 23

एक से अधिक वाहन किराये पर रखे जाने हेतु आवेदन करने पर वित्तीय प्रपत्र की आवश्यकता हेतु वाहनो का विवरण :–

क्र सं.	वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन का मेक व रंग	वाहन का मॉडल वर्ष	वाहन की बीमा पॉलिसी	वाहन का फिटनेश प्रमाण पत्र	वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

(हस्ताक्षर संवेदक)

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

Facts Of BID for Upload in SPPP

1.	**NIB**	**BOR/VehicleHireContract/Rs.50.69Lakh/Open BID/022/01** 14/02/2022
2.	**Method Of Bidding**	**Open Bidding**
3.	**Financial Year**	For the Year 2022-23
4.	**Department**	Board Of Revenue For Rajasthan, Ajmer
5.	**NIB Ref. No.**	**BOR/VehicleHireContract/Rs.50.69Lakh/Open BID/ 2022/0** 14/02/2022
6.	**No. Of BIDS Invited**	01
7.	**NIB Document**	Attached Alongwith
8.	**Language**	Hindi & English
9.	**NIB Publication Date**	14/02/2022
10.	**BID Type**	**Hiring of Vehicle**
11	**BID Sub-Type**	**Hiring of Vehicle**
12.	**BID Pattern**	Open Bidding
13.	**BID Title**	**Hiring of Vechile**
14.	**BID Amount**	**Rs. 50.59 Lakh**
15.	**No. Of Covers**	02
16.	**BID Publish Date**	14/02/2022
17.	**Pre-BID Meeting Date & Time**	No
18.	**BID Submission End Date & Time**	24/02/2022Time01:00 PM
19.	**Technical BID opening date**	24/02/2022 Time03:00 P.M., @Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer
20.	**Financial BID opening date**	Technically Qualified Bidders will be informed accordingly
21.	**Ist Appeal Hearing Authority**	Chairman, Board Of Revenue For Rajasthan, Ajmer
22.	**IInd Appeal Hearing Authority**	Secretary, Revenue Department, Jaipur
23.	**BID Document**	Attached Alongwith
24.	**Document Language**	Hindi & English
25.	**Is Emergency**	Yes

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।